



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ गाजियाबाद

(ISO 9001 : 2015 एवं ISO 14001 : 2015 प्रमाणित संस्था)

सार्वजनिक सूचना

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के लिये 800 एकड़ भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों, जिनके द्वारा अर्जित भूमि के सापेक्ष 6/4 प्रतिशत आवासीय विकसित भूखण्ड आवंटित किये जाने हेतु योजना सं०-791 (वर्ष 2010) एवं योजना सं०-828 (वर्ष 2013) के द्वारा आवेदन किया गया था, के पक्ष में आरक्षित भूखण्ड के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में दिनांक 18.08.2025 से 01.09.2025 तक प्राप्त 278 आपत्तियों का निस्तारण गठित समिति की संस्तुति पर कर दिया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त योजनाओं के माध्यम से आरक्षित भूखण्डों के ऐसे कृषक जिनके पक्ष में विशेष भूखण्ड संख्या नम्बर का आवंटन नहीं किया गया है, ऐसे कृषकों के पक्ष में भूखण्ड विशेष संख्या नम्बर आवंटन लॉटरी ड्रा की कार्यवाही निम्नांकित स्थान पर निम्न कार्यक्रम के अनुसार सम्पादित की जायेगी।

समय-सारणी

क्रमांक	आरक्षित क्षेत्रफल (वर्ग में)	आवंटन ड्रा का दिनांक/समय	आवंटन ड्रा का स्थान
1.	40 वर्ग मी० 60 वर्ग मी० 90 वर्ग मी०	27.11.2025 प्रातः 11:00 बजे	हिन्दी भवन, लोहिया नगर गाजियाबाद।
2.	150 वर्ग मी० 200 वर्ग मी० 300 वर्ग मी० 352.50 वर्ग मी० 405 वर्ग मी० 450 वर्ग मी० 498.75 वर्ग मी० 551.25 वर्ग मी० 595 वर्ग मी० 650 वर्ग मी० 1001.25 वर्ग मी० 1300 वर्ग मी० 1700 वर्ग मी० 1897.80 वर्ग मी०	28.11.2025 प्रातः 11:00 बजे	हिन्दी भवन, लोहिया नगर गाजियाबाद।

उपरोक्तानुसार आरक्षित क्षेत्रफल भूखण्ड से सम्बन्धित कृषकगण/पिता का नाम विवरण सूची का चस्पा नियत दिनांक से पूर्व लॉटरी ड्रा स्थान पर करा दी जायेगी। कृपया सम्बन्धित कृषकगण नियत तिथि व समय पर भूखण्ड विशेष संख्या आवंटन लॉटरी ड्रा में उपस्थित होने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष

ई-मेल : helplinegda@gmail.com,  : @Gda Ghazilabad  : @gdagzb

हेल्पलाइन 0120-4418 384, व्हाट्सएप: 9990988004 वेबसाइट: www.gdaghazilabad.in

एक सुन्दर शहर हमारा संकल्प